



23 JUL 2019

मिसिल संख्या 7-3/2012(ए.एम.पी.सी.)

15 जुलाई, 2019

विषय : फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में सार्वजनिक सूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार केन्द्रीय एवम् राज्य/प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत स्थापित मानित विश्वविद्यालय अथवा वह संस्थान जिन्हें संसदीय अधिनियम द्वारा उपाधि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अधिकार दिया गया है, ही उपाधि प्रदान कर सकते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्थान द्वारा "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग, या उपाधि प्रदान करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 23 के अनुसार निषिद्ध है। छात्रों एवं जनसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में वर्तमान समय में निम्नलिखित 23 स्वतः अभिकल्पित, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं। इन फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची आयोग की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर भी उपलब्ध है:-

दिल्ली

1. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।
2. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
3. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
4. ए.डी.आर.-सेन्ट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस, 8जे, गोपाला टॉवर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008।
5. इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली।
6. विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फोर सेल्फ-एम्प्लॉइमेन्ट, इंडिया रोजगार सेवासदन, 672, संजय एंक्लेव, अपोजिट जी.टी.के. डिपो, नई दिल्ली-110033।
7. आध्मात्मिक विश्वविद्यालय (स्प्रीचुअल यूनिवर्सिटी) 351-352, फेज-1, ब्लॉक-ए, विजय विहार, रिठाला, रोहिणी, नई दिल्ली-110085।

कर्नाटक

8. बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकाक, बेलगाम, कर्नाटक।

केरल

9. सेंट जॉन विश्वविद्यालय, कृष्णटम, केरल।

महाराष्ट्र

10. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर।

पश्चिम बंगाल

11. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, 80, चौरिंगी रोड, कोलकता -20।
12. इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एण्ड रिसर्च, 8-ए, डायमण्ड हारबर रोड, बिल्टैक इन, दूसरा तल, कुरपूकूर, कलकत्ता-700063।

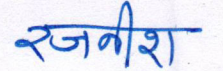
कमशः....

उत्तर प्रदेश

13. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (यू.पी.)/जगतपुरी, दिल्ली।
14. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (वीमेन्स यूनिवर्सिटी), प्रयागराज, (यू.पी.)।
15. गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयागराज, (यू.पी.)।
16. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होमियोपैथी, कानपुर, (यू.पी.)।
17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ़, (यू.पी.)।
18. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कला, मथुरा, (यू.पी.)।
19. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़, (यू.पी.)।
20. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खोडा, माकनपुर, नोएडा, फेज-(II) (यू.पी.)।

ओडिसा

21. नवभारत शिक्षा परिषद, अन्नपूर्णा भवन, प्लॉट न० 242, पानी टंकी रोड, शक्ति नगर, राउरकेला-769014।
 22. नॉर्थ ओडीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी रोड बादीपाडा, जिला-मयूरभंज, ओडिसा-757003।
 23. श्री बोधी एकेडमी ऑफ हायर ऐजुकेशन, न० 186, थिलासपेट वजुथवूर रोड, पुडुचेरी-605009।
- भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - यह मामला जिला न्यायाधीश, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है।


(रजनीश जैन)
सचिव